न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 73/2021

RCMS No. : 2021/221

प्रार्थीः—

सरकार

बनाम

अप्रार्थीगण :—

श्री पेमाराम पुत्र श्री हंसाराम
मैसर्स बधाई स्वीट्स रूपमुनी चौराया
नाडोल तह.देसूरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :—
प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गुलाबराम मेघवाल

—: निर्णय :—

दिनांक : 06.09.22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने नियत तारिख पेशी पर उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 13.3.2021 को दौराने गश्त निरीक्षण हेतु अप्रार्थी की दुकान मैसर्स बधाई स्वीट्स रूपमुनी चौराया नाडोल तह.देसूरी पर गया। वहां पर अप्रार्थी उपस्थित मिला, जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। अप्रार्थी की दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में एक ट्रे के अन्दर 5 किलो बेसन के लड्डू आमजन को बेचने के लिए रखे हुए थे जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने प्रपत्र 5 ए भरकर दिया व प्रपत्र 5 ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त कर गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाए। अप्रार्थी संख्या 01 को यह बता दिया कि बिक्री हेतु रखे हुए बेसन के लड्डू का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जांच हेतु ले रहा हुं। विक्रेता मालिक व गवाहान कि उपस्थिति में उक्त बेसन के 2 किलो लड्डू वास्ते जांच क्रय कर उसका मूल्य रूपये 350/— नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर मालिक एवं उपस्थित गवाह ने हस्ताक्षर किये तथा दुकान से खरीदे गये लड्डू के नमुना पैकेट पर मौके पर लेबल तैयार कर उस पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व क्रमांक आर—1219 लिखा एवं नमुना का विवरण अंकित कर मालिक एंव गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं प्रार्थी स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

तथा नियमानुसार सीलबंद मुहर कर अपने जाब्ते में लिया। प्रार्थी द्वारा मौके पर ही फर्द मौका तैयार कि जिसे विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्हाने स्वयं पढकर सुनकर एवं समझकर व राही मान हस्ताक्षर किये एवं स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। उक्त समस्त कार्यवाही मौके पर ही की गई। अप्रार्थी की दुकान से लिया गया लड्डू का नमुना एंव फार्म संख्या 06 की प्रतिया खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवायी गई। खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जोधपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/172/एक्ट/2021/270 दिनांक 19.03.2021 के अनुसार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी/विक्रेता की दुकान से लिया गया बेसन के लड्डू का नमुना अमानक स्तर (Sub-Standard) का पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-Standard बेसन के लड्डू का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस एवं अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अप्रार्थी की दुकान में किसी भी प्रकार की मिलावटी मिठाई नही बनाई जाती है। ग्राहक के संतुष्ट होने पर ही उसको मिठाई वाजिब दाम पर विक्रय की जाती है। वक्त निरीक्षण प्रार्थी व अप्रार्थी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति दुकान में मौजूद नही था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सरकारी औपचारिकता पूर्ण करने हेतु अप्रार्थी को विश्वास मे लेकर खाली दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करवाये। प्रार्थी द्वारा 2 किलो लड्डू अपने घर के लिए रूपये 350/– नकद देकर खरीदे थे उस समय कोई अन्य व्यक्ति गवाह के रूप में मौजूद नही था। लड्डू एक डिब्बे में पैक करके अप्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये थे। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में प्रार्थी निर्दोष है व कोई आपराधिक कृत्य कारित नही किया है एवं न किसी प्रकार की मिलावट की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अपना टारगेट पूरा करने के लिए प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण पेश किया है जो गलत व झूठा होने से अप्रार्थी को उक्त प्रकरण में दोषमुक्त कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.3.2021 को अप्रार्थी की दुकान बधाई स्वीट्स रूपमुनी चौराया नाडोल तह.देसूरी से बेसन के लड्डू क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1219 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक एलएस/172/एक्ट/2021/270 दिनांक 19.03.2021 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1219 का अमानक स्तर Sub Standard का पाया है जो न्यायोचित है तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) का भी उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के तहत शास्ति योग्य है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub Standard खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर रूपये 25,000/- अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 06.09.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली